राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ–75)डीटीए/IFMS/RMS-1/ 7509 दिनांक 19/3/2026

परिपत्र

विषय :– **राजस्व संग्रहण हेतु e-GRAS के स्थान पर IFMS 3.0 के अन्तर्गत विकसित Revenue Management System (RMS) को सभी विभागों के लिए लागू किए जाने के संबंध में।**

वित्त विभाग द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के माध्यम से पारदर्शिता, सुगमता एवं शुद्धता स्थापित करने के उद्देश्य से IFMS 3.0 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभागों/ पी.डी. खाता संचालकों के लिए संवेतन, कार्मिकों के अन्य भुगतान, बजट, पेंशन, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना संचालन (SNA-SPARSH) Earned Salary Advance, Works Monitoring व Accounts, वेन्डर रजिस्ट्रेशन, Bank Disbursement Engine इत्यादि प्रक्रियाएं निरन्तर संचालित की जा रही हैं।

इसी क्रम में राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण हेतु IFMS के अंतर्गत ई–ग्रास के स्थान पर Revenue Management System (RMS) को दिनांक 21.01.2026 से तीन विभागों (Factory & Boilers, Labour, SIPF Department) के लिए वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र क्रमांक 6376–94 दिनांक 16.01.2026 द्वारा लागू किया गया था।

इसी की निरंतरता में **राज्य के सभी विभागों के लिए उनसे संबंधित राजस्व मदों में राजस्व संग्रहण हेतु RMS पर आवश्यक प्रावधान दिनांक 11.04.2026 से लागू किये जा रहे हैं।**

समस्त विभागों के लिए जमाकर्त्ताओं को चालान जनरेशन एवं HoO/HOD/TO/ e-TO से संबंधित सेवाएँ/प्रावधान/रिपोर्ट्स (जो वर्तमान में ई–ग्रास पोर्टल पर उपलब्ध हैं), RMS पर ही उपलब्ध होंगी तथा ई–ग्रास के वर्तमान पोर्टल पर ये सुविधाएँ उपलब्ध नहीं रहेंगी। उक्त विभागों से संबंधित सम्पूर्ण डेटा भी ई–ग्रास से RMS पर हस्तांतरित किया जायेगा एवं दिनांक 11.04.2026 से पूर्व के जीआरएन से संबंधित सेवाएँ मय रिपोर्ट्स भी IFMS 3.0 के अन्तर्गत RMS पर ही उपलब्ध होंगी।

समस्त विभागों के लिए RMS पर निम्न प्रावधान उपलब्ध करवाये गए हैं :–

1. RMS के अन्तर्गत जमाकर्ताओं (Citizen service) को SSO आई.डी. के माध्यम से Citizen self service में ऑनलाइन एवं मैन्युअल चालान बनाये जाने की सुविधा दी गई है।

2. RMS में विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, ई–कोषाधिकारी एवं अन्य कोषाधिकारियों को SSO आई.डी. के माध्यम से Access work space के अन्तर्गत ई–ग्रास पर वर्तमान में उपलब्ध समस्त सेवाएँ/विकल्प उपलब्ध रहेंगे।

3. Quick Challan :- विभागों की चिह्नित सेवाओं (services) हेतु Quick Challan के माध्यम से वर्तमान में उपलब्ध pay challan की सुविधा IFMS 3.0 के माध्यम से यथावत जारी रहेगी।

RMS पोर्टल संबंधी प्रक्रिया :–

- RMS के पूर्ण रूप से लागू होने पर GRN का generation भी (सतत रूप से (in continuity)) RMS पर होगा, एवं जमाकर्ता द्वारा आवश्यक विवरण भरकर RMS पर चालान जनरेट किए जायेंगे।
- Daily Scrolls एवं DMS अपलोड किया जाना, अंकमिलान एवं लेखा प्रेषण संबंधी कार्यवाही एवं अन्य कार्य IFMS 3.0 पर ही सम्पादित किए जायेंगे।
- वर्तमान में ई–ग्रास से इन्टीग्रेटेड बैंको को RMS से इंटीग्रेशन 11.04.2026 से पूर्व ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इन बैंको के लिए ई–ग्रास से संबंधित सेवाएँ RMS पर उपलब्ध कराये जाने के लिए पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। वित्त विभाग से अधिकृत नवीन एजेन्सी बैंकों को अब सीधे ही RMS पर इन्टीग्रेशन की कार्यवाही पूर्ण कर MoU करना होगा।
- RMS को सभी विभागों (सभी बजट मदों सहित) के साथ पूर्ण रूप से लागू किए जाने पर ई–ग्रास पर राजस्व संग्रहण संबंधी सेवाएँ उपलब्ध नहीं रहेंगी।
- ई–ग्रास के माध्यम से विभागों को दी जा रही सेवाएं दिनांक 10.04.2026 को 11:00 PM पर बन्द की जाकर ये सेवाएं दिनांक 11.04.2026 को 00:01 AM से RMS के माध्यम से प्रवृत्त की जाएँगी।

विभिन्न Stakeholders के Roles & Responsibilities निम्नानुसार रहेगी :–

1. **जमाकर्त्ता** – जमाकर्त्ताओं को एस.एस.ओ. आई.डी. के माध्यम से IFMS 3.0 के अन्तर्गत लॉगिन करना होगा। ई–ग्रास पर पूर्व में रजिस्टर्ड जमाकर्ताओं को RMS पर SSO लॉगिन से Entry करने के बाद ई–ग्रास डेटा में उपलब्ध पूर्व लॉगिन का विवरण प्रदर्शित होगा। नवीन जमाकर्ताओं को आवश्यक विवरण भरकर SSO आई.डी. जनरेट करनी होगी, तत्पश्चात चालान जनरेशन एवं राशि जमा कराने की कार्यवाही की जा सकेगी।

2. **विभाग** – जिन विभागों की विभागीय एप्लीकेशन्स का ई–ग्रास से इन्टीग्रेशन है, ऐसे समस्त विभाग अपने विभागीय एप्लीकेशन्स का इन्टीग्रेशन RMS के साथ शीघ्र करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। RMS के पूर्ण रूप से लागू किए जाने पर ई–ग्रास इन्टीग्रेशन से उन विभागों को उपलब्ध सुविधाएँ बन्द हो जायेंगी।

वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र क्रमांक 5770–87 दिनांक 11.12.2025 द्वारा भी RMS से विभागीय एप्लीकेशन्स का इन्टीग्रेशन शीघ्र पूर्ण करवाने हेतु विभागों को निर्देश जारी किए गए थे, परन्तु अभी तक कई विभागों द्वारा RMS से इन्टीग्रेशन नहीं करवाया गया है। अतः **जिन विभागों की विभागीय एप्लीकेशन्स का वर्तमान में ई–ग्रास से इन्टीग्रेशन है उनके विभागाध्यक्ष अपने विभागीय एप्लीकेशन्स का RMS से इन्टीग्रेशन दिनांक 31.03.2026 तक पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे** ताकि दिनांक 11.04.2026 से सभी सुविधाएँ RMS के माध्यम से उपलब्ध हो सकें।

जिन विभागों द्वारा RMS के साथ इन्टीग्रेशन पूर्ण नहीं किया जायेगा उनके राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित होने पर संबंधित विभाग स्वयं उत्तरदायी होगा। विभागों से संबंधित अन्य कार्य एवं उत्तरदायित्व वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 01.11.2012, 17.04.2017 एवं 20.01.2020 के अनुसार यथावत रहेंगे।

3. **ई–कोषाधिकारी** – ई–कोषाधिकारी द्वारा RMS के माध्यम से जमा राजस्व के चालानों के डेटा सहित अंकमिलान एवं महालेखाकार कार्यालय को लेखा प्रेषण संबंधी कार्यवाही IFMS 3.0 के माध्यम से सम्पादित की जायेगी। RMS से प्राप्त डेटा का नियमित पर्यवेक्षण एवं विसंगति का निराकरण / समाधान एन.आई.सी./ डीटीए के माध्यम से करवाया जायेगा। अन्य कार्य एवं उत्तरदायित्व वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 01.11.2012, 17.04.2017 एवं 20.01.2020 के अनुसार यथावत रहेंगे।

4. **बैंक** – ई–ग्रास पर इंटीग्रेटेड बैंकों को RMS से इंटीग्रेशन 11.04.2026 से पूर्व पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। RMS पर इन्टीग्रेटेड बैंक द्वारा समस्त सफल जीआरएन से प्राप्त राशि को पूर्ववत् T+1 कार्य दिवस में आर.बी.आई. को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा दैनिक स्क्रॉल एवं DMS, IFMS 3.0 पर ही ई–कोषालय को प्रेषित किये जाने हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। अन्य कार्य एवं उत्तरदायित्व वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 01.11.2012, 17.04.2017, 20.01.2020 एवं 29.10.2024 के अनुसार यथावत रहेंगे।

5. **एन.आई.सी.** – एन.आई.सी. द्वारा ई–ग्रास एवं RMS के मध्य यथा आवश्यकता नियमित एवं निर्बाध रूप से डेटा शेयरिंग को सुनिश्चित किया जायेगा तथा बैंकों एवं विभागों के एप्लीकेशन्स का RMS के साथ इन्टीग्रेशन के लिए आवश्यक डेटा/सूचनाएँ साझा की जायेगी। साथ ही RMS के डाटा सहित त्रुटिरहित रिपोर्ट्स एवं लेखा प्रेषण से सम्बंधित गतिविधियाँ IFMS 3.0 के माध्यम से सम्पादित करने की निर्बाध सुविधा ई–कोषालय/संबंधित कोषालयों एवं विभागों को उपलब्ध करवायेंगे।

माह अप्रैल 2026 के मासिक लेखों की द्वितीय सूची को (Account Submission) ई–कोषालय द्वारा कार्यालय महालेखाकार, जयपुर राजस्थान को IFMS 3.0 से ही प्रेषित किये जाने की तकनीकी सुविधा/प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।

6. **कोष एवं लेखा विभाग** – एन.आई.सी. एवं तकनीकी टीम के सहयोग से RMS का अधिकृत बैंकों एवं अन्य विभागों की एप्लीकेशन्स के साथ इन्टीग्रेशन की कार्यवाही की जायेगी। RMS के संबंध में विभिन्न स्टेक होल्डर्स को आने वाली समस्याओं का समाधान भी एन.आई.सी. एवं तकनीकी टीम के सहयोग से कराया जायेगा।

सभी विभागों के लिए Minus Expenditure (ME) एवं पी.डी. चालान बनाने की सुविधा दिनांक 10.04.2026 तक पूर्ववत् ई–ग्रास पर ही उपलब्ध रहेंगी एवं दिनांक 11.04.2026 से यह सुविधा भी RMS के माध्यम से उपलब्ध होंगी।

उपर्युक्त निर्देशों को लागू करने की उपयुक्त तकनीकी व्यवस्था डीटीए एवं एन.आई.सी. द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

RMS के लिए यूजर मैन्युअल IFMS 3.0 पर उपलब्ध रहेगा। हैल्प डेस्क हेतु 0141–2924794 एवं 0141–2924795, ई–मेल आई.डी. employeehelpdesk.ifms@rajasthan.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

19/03/26

(राजन विशाल)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए/IFMS/RMS-1/ 7509 दिनांक 19/3/2026

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/सिविल लेखा परीक्षा/वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर।
7. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
8. समस्त विभागाध्यक्ष।
9. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर
10. आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
11. उपशासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
12. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
13. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (वित्तीय नियम) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
14. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर।
15. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी।
16. संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
17. वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर।
18. सहायक महाप्रबन्धक (बैंकिंग), भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर।
19. समस्त एजेन्सी बैंक, ई–ग्रास राजस्थान।

19/3/2026

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव